

33

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

टिब्बी जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :- सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि०न०:- 242/2025

- 1. परमजीत सिंह पि० नन्दसिंह जाति जटसिख निवासी मसानी तहसील टिब्बी
- 2. सुबासिंह जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम्

- 1. मोहरसिंह
- 2. जगदेव सिंह पि० नन्दसिंह जाति जटसिख निवासी मसानी तहसील टिब्बी
- 3. रूलदूसिंह जिला हनुमानगढ।
- 4. लखविन्द्र कौर
- 5. समरजीत कौर

प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक 14/11/26

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री सुभाषगर्ग व प्रतिवादी वकील करनैलसिंह अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है:- चक नं० 17 जीजीआर के खाता सं० 143/98 में कुल 2.024 है० मे से प्रतिवादी सं० 1 मोहरसिंह का 95/2464 मे से .007 हे० व, प्रतिवादीसं० 2 जगदेव सिंह का 95/2464 में से .007 है०, प्रतिवादीसं० 3 रूलदूसिंह का 51/14168, प्रतिवादीसं० 4 लखविन्द्र कौर का 51/14168 हिस्सा, प्रतिवादी सं० 5 समरजीत कौर का 51/14168 हिस्सा के वादीगण को ब०हि०ब० के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है व चक नं० 17 जीजीआर के खाता सं० 143/98 मे से मोहरसिंह, जगदेवसिंह का हिस्सा कम व रूलदूसिंह, लखविन्द्र कौर, सरजीत कौर का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एंव जमाबंदी में गै०मु० रकबे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का रथगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 14/11/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



*[Signature]*  
 उपखण्ड अधिकारी एवं R.A.S)  
 पदेन उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
 एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।